

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011पार्ट


जयपुर, दिनांक : 02.04.2013

1. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण।
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण।
3. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल।
4. सचिव, नगर सुधार न्यास (समस्त) राजस्थान.....।

**विषय :-** स्थानीय निकायों द्वारा आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पट्टों एवं निष्पादित समस्त विलेखों/लिखतों पर स्टाम्प ड्यूटी के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार वित्त विभाग द्वारा जारी निम्न अधिसूचनाएँ अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है :-

1. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगरपालिका, नगरनिगम, नगर सुधार न्यास द्वारा आवंटित/विक्रय की गयी स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी में दी गयी शिथिलता के संबंध में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक (सं.एफ.2(60)एफ.डी/टैक्स/12-02) दिनांक 01.04.2013
2. राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 90-ए तत्समय प्रचलित धारा 90-बी के अन्तर्गत जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी में दी गयी शिथिलता के संबंध में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक (सं.एफ.2(60)एफ.डी/टैक्स/12-01) दिनांक 01.04.2013

  
(आर.के.पारोक)  
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 01.04.2013

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपक्रम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी:-

क. सं.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
1	2	3
1.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शारित, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह पश्चात एवं 4 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शारित, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।
3.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 4 माह पश्चात एवं 8 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शारित, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।

परन्तु उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपक्रमों के द्वारा स्थावर सम्पत्ति के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत यदि पंजीयन के लिए निर्धारित समयावधि अर्थात् निष्पादन की दिनांक से 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपक्रमों से पुनर्वेध एवं पुनः निष्पादित करवाकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे विलेख/लिखत पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टेक्स/12-02)

राज्यपाल के आदेश से,

(आदित्य पारीक)

शासन उप सचिव, वित्त (कर)

राजस्थान सरकार  
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 01.04.2013

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आदेश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए या तत्समय प्रचलित धारा 90बी के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, तथा अन्य स्थानीय निकायों में निहित भूमि का इन निकायों द्वारा सुसंगत विधि/नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्नानुसार देय होगी:-

1. यदि पट्टा विलेख स्वयं खातेदार के पक्ष में अथवा पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहिता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
2. अन्य समस्त मामलों में संबंधित क्षेत्र की आरक्षित दर (जहां आरक्षित दर निर्धारित नहीं है वहां निकटतम क्षेत्र की आरक्षित दर) से सम्पत्ति का मूल्यांकन करते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
3. उपरोक्त निकायों के द्वारा नियमित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 व 25 के अनुसार निर्धारित 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों से पुनर्वेध एवं पुनः निष्पादित करवाकर पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे विलेख/लिखत पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-01)

राज्यपाल के आदेश से,

  
(आदित्य पारीक)

शासन उप सचिव, वित्त (कर)